COVID-19
(MOST- URGENT)

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर

क्रमांक : प. 35( )( )आ.प्र. एवं सहा./covid-19/ 28472   दिनांक : 22/03/2020

आदेश

'एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1867' एवं 'द' राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957' में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर जिला क्षेत्र बाड़मेर में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं यथा – **मेडिसीन, राशन/किराना, दूध, सब्जी, एल.पी.जी गैस, पेट्रोल पंप एवं रिटेल आउटलेट व पानी सप्लाई, बैंक, ए0टी0एम0 के अतिरिक्त** बाड़मेर जिले में आज दिनांक 22.03.2020 को रात्रि 12.00 बजे से समस्त प्रतिष्ठान/शॉप बन्द रखने के आदेश दिये जाते है। **कचौरी, समोसा, मिठाईयां एवं अन्य खाद्य पदार्थ (Ready to Eat)** बनाने वाली **दुकानें/प्रतिष्ठानें भी पूर्णतयः बंद रहेगी ।**

उक्त आदेशों की पालना जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर, आयुक्त, नगर परिषद, बाड़मेर/बालोतरा, जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर, सचिव, नगर विकास न्यास एवं समस्त उपखण्ड अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावें।

Ansh
(अंशदीप)
जिला कलक्टर
आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर

क्रमांक : प. 35( )( )आ.प्र. एवं सहा./covid-19/28473-28481   दिनांक : 22/03/2020

प्रतिलिपि :– निम्नाकिंत को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर
02. उपखण्ड अधिकारी (समस्त)
03. जिला रसद अधिकारी, रसद विभाग, बाड़मेर
04. आयुक्त, नगर परिषद्, बाड़मेर/बालोतरा
05. सचिव, नगर विकास सुधार न्यास, बाड़मेर
06. उप निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, बाड़मेर
07. सोशल मीडिया प्रभारी
08. रक्षित पत्रावली ।

Ansh
जिला कलक्टर
आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर